कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बहराइच

पत्रांक- मु.चि.अ./तम्बाकू नि.प्रकोष्ठ / 2019-20 215 दिनांक - 6 / 04 / 2020

समस्त कार्यालय अध्यक्ष
बहराइच ।

विषय - जनपद में करोना वाइरस (COVID-19) संक्रमण से बचाव के लिए समस्त सरकारी एवं निजी प्रतिष्ठानों में पान-मसाला एवं तम्बाकू उपयोग को प्रतिबंधित किये जाने के सम्बन्ध में ।

महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ / 2019 - 20 / 8365 लखनऊ / दिनांक 18-03-2020 द्वारा अवगत कराया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा करोना वाइरस **(COVID-19)** को महामारी घोषित किया जा चुका है तथा भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा इसे विश्व व्यापी महामारी को गंभीरता से लेते हुए इसकी रोकथाम एवं बचाव हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये है ।

चूँकि प्रदेश में लगभग 29.4 % लोग धूम्रपान रहित तम्बाकू का किसी न किसी रूप से सेवन करते है जो कि वर्तमान में तम्बाकू एवं पान- मसाला का सेवन कर इधर- उधर थूकने से करोना वाइरस **(COVID-19)** के फैलने में सहायक हो सकता है एवं प्रधानमंत्री द्वारा बहुउद्देशीय स्वच्छ भारत मिशन व अन्य बिमारियों की रोकथाम हेतु भी तम्बाकू व पान मसाला का सेवन बड़ी बाधा है ।

अतः उक्त क्रम में आप को निर्देशीय किया जाता है कि आप उक्त स्थिति को देखते हुए तत्काल COTPA-2003 के नियमों / उपनियमों एवं सार्वजनिक स्थान पर तम्बाकू एवं पान-मसाला खाकर यत्र-तत्र थूकने पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
बहराइच

पत्रांक- मु.चि.अ./तम्बाकू नि.प्रकोष्ठ / 2019-20 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
2. राज्य नोडल अधिकारी राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. जिलाधिकारी महोदय, बहराइच ।
4. पुलिस अधीक्षक, बहराइच को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की आप अपने अधीनस्थ पुलिस बल को उक्त के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही हेतु निर्देशित करें ।
5. मुख्य विकास अधिकारी, बहराइच ।
6. यू.पी.वी.एच.ए. लखनऊ ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
बहराइच